

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश
लखनऊ-228027

Raj Bhawan Shimla
Diary No. 79856
Date 29/04/23
Sig. 

संख्या : ई-2534/जीओएसओ
दिनांक : अप्रैल 29, 2023

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति की अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में

प्रमुख सचिव/सचिव, श्री राज्यपाल,
समस्त राज्य,
भारत।

महोदय,

उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय,
बरेली (उओप्रओ) एक प्राचीन विश्वविद्यालय स्थापित है।

उपर्युक्त विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया वर्तमान में
विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में विज्ञापन संख्या : ई-2534/2023, दिनांक अप्रैल 26, 2023
(प्रति संलग्न) को प्रकाशित कराया जा रहा है। माओ राज्यपाल, उत्तर प्रदेश द्वारा उपर्युक्त
विज्ञापन को समस्त प्रदेशों के विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर भी प्रकाशित कराने सम्बन्धी
निर्देश दिये गये हैं।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया अपने
प्रदेशों से सम्बन्धित विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर उपर्युक्त विज्ञापन को प्रकाशित कराने
का कष्ट करें।

संलग्नक :- यथोपरि।

भवदीया,

(कल्पना अवस्थी)

अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उओप्रओ।

1. ADC

2. CED

3. US

4. CH

5. Gacy.

6. SO

4

28/23

28/4/23

28/4/23

28/4/23

28/4/23

28/4/23

28/4/23

28/4/23

28/4/23

28/4/23

28/4/23

28/4/23

28/4/23

28/4/23

28/4/23

28/4/23

28/4/23

28/4/23

28/4/23

28/4/23

28/4/23

28/4/23

28/4/23

28/4/23

राजा भवन, लखनऊ

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली (उ०प्र०) के कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में सूचना

विज्ञापन संख्या : ई-2534 / 2023

दिनांक : अप्रैल 28, 2023

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली (उ०प्र०), जो कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 10 सन् 1973) के अन्तर्गत स्थापित है, के कुलपति की नियुक्ति उक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन गठित समिति द्वारा अनुसंशित पैनल में से कुलाधिपति के द्वारा की जानी प्रस्तावित है।

कुलपति का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अपनी आयु 68 वर्ष पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, के लिए रहेगा। कुलपति के पद हेतु केवल वही व्यक्ति पात्र होगा जिसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो।

चूंकि कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होता है, इसलिये अभ्यर्थी में उच्च कोटि की क्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता एवं संस्थागत वचनबद्धता होनी चाहिए। अभ्यर्थी को विख्यात शिक्षाविद होने के साथ-साथ ठोस प्रशासनिक अनुभव भी होना चाहिए।

कुलपति पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थी राजभवन की वेबसाइट "www.upgovernor.gov.in" पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन दिनांक 30.06.2023 तक केवल ऑनलाइन (Online) प्रेषित कर सकते हैं।

निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।